इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 304] भोपाल, सोमवार, दिनांक 21 जुलाई 2014—आषाढ़ 30, शक 1936

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

संशोधित अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 21 जुलाई 2014

क्र. डी-15-1-2014-चौदह-3.—चूंकि, राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 4 के अधीन जारी की गई इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक डी-15-26-98-चौदह-3, दिनांक 26 सितम्बर 2003 द्वारा जिला होशंगाबाद की बाबई व होशंगाबाद तहसील के मंडी क्षेत्र होशंगाबाद में (जो इसमें इसके पश्चात् "उक्त मंडी क्षेत्र" के नाम से निर्दिष्ट है) उक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट कृषि उपजों के क्रय-विक्रय को विनियमित किया था.

और, चूंकि, राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 70 की उपधारा (1) के खण्ड (तीन) के उपबन्धों के अधीन जारी की गई इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक डी-15-1-2014-चौदह-3, दिनांक 5 जून 2014 द्वारा होशंगाबाद जिले की बाबई तहसील के विकासखण्ड, बाबई में समाविष्ट ग्रामों के क्षेत्र (जो इसमें इसके पश्चात् "उक्त क्षेत्र के नाम से निर्दिष्ट है) को "उक्त मंडी क्षेत्र" में से विपाटित करने का अपना आशय प्रकट किया था.

अतएव, मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 71 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा इस अधिसूचना के "मध्यप्रदेश राजपत्र" में प्रकाशित होने के दिनांक से "उक्त क्षेत्र" को होशंगाबाद जिले की बाबई तहसील की होशंगाबाद मंडी के "उक्त मंडी क्षेत्र में से" विपाटित करती है.

यह संशोधित अधिसूचना, दिनांक 5 जून 2014 से मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन उपरांत, प्रभावशील होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. त्रिपाठी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 21 जुलाई 2014

क्र. डी-15-1-2013-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 21 जुलाई 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. त्रिपाठी, उपसचिव.

AMENDED NOTIFICATION

Bhopal, the 21st July 2014

No. D-15-1-2014-XIV-3.—Whereas, by this Department Notification No.D-15-26-98-XIV-3, dated 26th September 2003 issued under the provisions of Section 4 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government regulated the purchase and sale of the Agricultural produce specified in the said Notification in the area of Development Block of Hoshangabad and Babai in Tehsil Hoshangabad and Babai of Hoshangabad District, (here in after referred to as the "said market area").

And, whereas, by this Department Notification No. D-15-1-2014-XIV-3, dated 5th June 2014 issued under the provisions of clause (iii) of sub-section (1) of Section 70 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government had signified its intention to split up there from the area comprising of villages situated in Babai Development Block and Tehsil of Babai of Hoshangabad district (here in after referred to as the "said area").

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (2) of Section 71 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government here by splits up the "said area" there from the "said market area".

This amendment Notification shall come in effect from 5th June 2014 after its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. TRIPATHI, Dy. Secy.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2014.